संख्या-763/2017/1221/22-2-2017-17(425)/2009

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 20 सितम्बर 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश उर्फ पुचमा पुत्र श्री हरशरण, निवासी- जनपद-रामपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16050-185/प्रोबेशन-3(एम-02-05-2017) दिनांक 18-05-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी ओमप्रकाश उर्फ पुचमा पुत्र श्री हरशरण, निवासी- तोपखाना रोड हरिजन बस्ती, थाना-कोतवाली, जनपद-रामपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा होली के विवाद में **दिनांक 20-03-2000 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व तमंचे** से गोली मार कर 02 व्यक्तियों (हरीश व उमेश) की हत्या कर अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-486/2000 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-संख्या-3, रामपुर के आदेश दिनांक 17-02-2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.02.2017 तक 16 वर्ष, 10 माह, 29 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष, 03 माह, 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त जमानत पर रिहा, 01 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोष मुक्त 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट एवं प्रोबेशन बोर्ड द्वारा की गयी संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है एवं 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। अत: समयपूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किए गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश उर्फ पुचमा पुत्र श्री हरशरण, निवासी जनपद-रामपुर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी ओमप्रकाश उर्फ पुचमा (बन्दी संख्या-39213) पुत्र श्री हरशरण, निवासी जनपद-रामपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-763/2017/1221(1)/22-2-2017 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-रामपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-763/2017/1221/22-2-2017-17(425)/2009

दिनांक 20 सितम्बर, 2017 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध बन्दी ओमप्रकाश उर्फ पुचमा (बन्दी संख्या-39213) पुत्र श्री हरशरण, निवासी- तोपखाना रोड हरिजन बस्ती, थाना-कोतवाली, जनपद-रामपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा होली के विवाद में **दिनांक 20-03-2000 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व तमंचे** से गोली मार कर 02 व्यक्तियों (हरीश व उमेश) की हत्या कर अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-486/2000 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-संख्या-3, रामपुर के आदेश दिनांक 17-02-2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.02.2017 तक 16 वर्ष, 10 माह, 29 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष, 03 माह, 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त जमानत पर रिहा, 01 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोष मुक्त 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट एवं प्रोबेशन बोर्ड द्वारा की गयी संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है एवं 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। अतः समयपूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किए गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश उर्फ पुचमा पुत्र श्री हरशरण, निवासी जनपद-रामपुर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।